रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938
No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/CHAITRA 12, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

सा.का.नि. 385(अ)--केंद्रीय सरकार ने, देश में आर्द्रभूमि के भीतर विभिन्न क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 951(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए थे;

और, केंद्रीय सरकार का यह मानना है कि देश में आर्द्रभूमि के प्रभावी संरक्षण और प्रबंध के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिक्रांत करना आवश्यक है;

और, आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग है, जल प्रदाय और निर्मलीकरण; अपशिष्ट स्वांगीकरण; बाढ़, अनावृष्टि, तूफान, चक्रवात जैसी उभय प्रतिरोधण संबंधी प्रचंड घटनाओं; भूजल पुन: भरण; अपरदन नियंत्रण; सूक्ष्म जलवायु विनियमन और भूदृश्य सौन्दर्यात्मक वृद्धि जैसी अपनी व्यापक पारिस्थितिकीय सामग्री और सेवाओं के कारण समाज की जीवन रेखा है और आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण मनोरंजनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का भी आधार है तथा ये हमारी समृद्धिशाली सांस्कृतिक विरासत का एक भाग है और ये पारिस्थितिकीय तंत्र वनस्पतीय और प्राणीजात विविधता, जिसके अंतर्गत अनेक दुर्लभ खतरनाक और स्थानिक प्रजातियां भी हैं, का आश्रय स्थल है तथा आर्द्रभूमि, अपनी कार्बन अपवाहिका के रूप में कार्य करने, जल व्यवस्था को विनियमित करने, भू-क्षरण को रोकने और दबावयुक्त जैव विविधता को प्राकृतिक वास उपलब्ध करने की सामर्थता के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसे अनुकूल बनाने में सहायक हो सकती है;

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहि:स्राव का निस्सारण, ठोस अपविष्टों का व्ययन), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनकी प्राकृतिक संपदा के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप आद्रभूमि में की जैव विविधता की हानि और उसके द्वारा उपलब्ध सामग्री और सेवाओं का विदारण हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणीमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में समर्थन में है;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें कीचड़, दलदल, झीलों, तटीय लैगूनों, कच्छ वनस्पतियां, पीट भूमि, प्रवाल भित्ति और तालाब, लवणकुंड, सरोवर, बजरी गड्ढे, मल प्रवाह प्रक्षेत्र और नहर, जैसे अनेक प्रकार की मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे उनके विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वासों की व्यापक परिधि सम्मिलित है;

और, केन्द्रीय सरकार एकीकृत प्रबंध दृष्टिकोण पर आधारित क्षेत्रीय विकास योजना और विनिश्चय कराने में जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि के संपूर्ण परिक्षेत्र और पारिस्थितिकी प्रणाली सेवा मूल्यों को मुख्य धारा में लाने की इच्छुक है;

और, राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अपने विकासात्मक कार्यक्रम तैयार करने में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं और जैव विविधता संबंधी मूल्यों पर विचार करने और इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल, संविधान में राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध हैं ;

और, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी सामग्री और सेवाओं के संरक्षण और संधार्य प्रबंध से राज्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सारवान् प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदा हो सकता है;

और, अब, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिक्रांत करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इस राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने के इच्छुक कोई व्यक्ति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110 003 को या इलैक्ट्रानिक रूप से ई-मेल b.sikka@gov.in, ram.jindal@nic.in & c.singh@nic.in पर भेज सकेंगे।

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंध) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से नियम 5 में निर्दिष्ट प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "तल कर्षण" से ऐसा उत्खनन क्रियाकलाप या संक्रिया अभिप्रेत है, जो सामान्यतया पर्यावरणीय अनुकूल रीति से भिन्न-भिन्न स्थानों पर नीचे के अवसादों को एकत्र करने और उनके व्ययन के प्रयोजन से भागत: जल के नीचे उदले समुद्र में या ताजे जल वाले क्षेत्रों में किया जाता है;

(घ) "राष्ट्रीय उद्यान" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) की धारा 35 या धारा 38 के अधीन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित या धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया समझे जाने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिसूचित" से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) "रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "यूनेस्को" से संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अभिप्रेत है;

(झ) "आर्द्रभूमि" से भूमि या जल के अंतरापृष्ठ पर अवस्थित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति निर्देश है और जिसमें पादप और पशु जीवन को नियमित करने में प्रधान भूमिका जल की होती है तथा सहयुक्त पारिस्थितिकी प्रक्रिया और आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या दलदल युक्त क्षेत्र, कच्छभूमि, पीटभूमि या जल; ऐसे जल के साथ, जो ठहरा हुआ या प्रवाहमान ताजा, खारा या लवणयुक्त है, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी क्षेत्र अभिप्रेत है, इसमें समुद्री जल सम्मिलित है, जिसकी गहराई भाटा के समय छह मीटर से अधिक नहीं होती है और इसके अंतर्गत सभी अंतर्देशीय और तटीय जल जैसे झीलें, सरोवर, हौज अप्रवाही जल, लैगून, संकरी खाड़ी, सागर संगम और मानव निर्मित आर्द्रभूमि भी है, किंतु इसके अंतर्गत नदी, नहर और धान के खेत तथा अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र नहीं हैं;

(ञ) "वन्यजीव अभ्यारण्य" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) के अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन अभ्यारण्य के रूप में समझा गया है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों को लागू होंगे :--

(1) अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में प्रवर्गीकृत आर्द्रभूमि।

(2) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमियां, जो उनकी अधिकारिता में अवस्थित हैं।

(3) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश के आधार पर, उनकी अधिकारिता में अवस्थित आर्द्रभूमियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन—(1) आर्द्रभूमियों का संरक्षण और प्रबंध, उनकी पारिस्थितिकी अखंडता को बनाए रखने के लिए, 'विवेकी उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पण 1 : 'आर्द्रभूमियों का विवेकी उपयोग' उनके पारिस्थितिकी स्वरूप को बनाए रखना है, जो संधार्य विकास के संदर्भ में पारिस्थितिकी प्रणाली दृष्टिकोण के क्रियान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

टिप्पण 2 : 'पारिस्थितिकी स्वरूप' पारिस्थितिकी प्रणाली संघटकों, प्रक्रियाओं और सेवाओं का संयोजन है, जो आर्द्रभूमि की विशेषता है और जो पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं को बचाने के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक दशाओं का उपबंध करती है ।

टिप्पण 3 : 'पारिस्थितिकी प्रणाली दृष्टिकोण' भूमि, जल और ऐसे जीवित संसाधनों के एकीकृत प्रबंध के लिए एक रणनीति है, जो साम्यपूर्ण ढंग से संरक्षण और संधार्य उपयोग का संवर्धन करती है ।

(2) इन नियमों के अधीन अधिसूचित आर्द्रभूमियों में, निम्नलिखित क्रियाकलापों का प्रतिषेध होगा, अर्थात् :--

(i) आर्द्रभूमियों का सुधार और ऐसी भूमि, जो आर्द्रभूमि नहीं है, के उपयोग के लिए संपरिवर्तन;

(ii) आर्द्रभूमि के प्राकृतिक जल के अंतर्वाह और उत्प्रवाह में कोई परिवर्तन या बाधा;

(iii) कोई ऐसा क्रियाकलाप, जिसका आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप पर प्रतिकूल समाघात होता है या होने की संभावना है :

परंतु अपवादिक मामलों में, उपरोक्त में कोई परिवर्तन केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा ।

5. राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन—(1) सभी राज्य सरकारें, एक राज्य स्तरीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेंगी, जिन्हें सुसंगत राज्य उपविधियों के अधीन आर्द्रभूमि संरक्षण, विनियमन और प्रबंध संबंधी कार्यकलाप सौंपे जाएंगे, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :--

(i) मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग का भारसाधक मंत्री;

(ii) राज्य का मुख्य सचिव;

(iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव;

(iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव;

(v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव;

(vi) जल संसाधन विकास विभाग का भारसाधक सचिव;

(vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव;

(ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव;

(x) राजस्व विभाग और अन्य सुसंगत विभागों, संगठनों और संस्थाओं के भारसाधक सचिव;

(xi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ;

(xii) सदस्य-सचिव के रूप में पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव ।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र में की आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंध के प्रयोजन के लिए संघ राज्यक्षेत्र के लिए आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :--

(i) संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव या पर्यावरण और वन विभाग का भारसाधक मंत्री;

(ii) वन विभाग का भारसाधक सचिव;

(iii) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव;

(iv) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव;

(v) जल संसाधन विकास विभाग का भारसाधक सचिव;

(vi) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव;

(vii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव;

(viii) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव;

(ix) राजस्व विभाग और अन्य सुसंगत विभागों, संगठनों और संस्थाओं के भारसाधक सचिव;

(x) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ;

(xi) सदस्य-सचिव के रूप में पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव ।

(3) बहु मुद्दों वाली आर्द्रभूमि के प्रबंध के प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, यदि अपेक्षित हो, एक विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

(4) उप नियम (1) से उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक आर्द्रभूमि प्राधिकरण, किसी केंद्रीय विधि या नीतियों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा :

(क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;

(ख) नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की पहचान करना और उनकी सूची तैयार करना;

(ग) आर्द्रभूमि की सीमाओं का अभ्यांकन करना और दूरस्थ अनुभूति और भू-यथार्थता का उपयोग करते हुए उपयोगी भूमि के मानचित्र तैयार करना;

(घ) विद्यमान अधिकारों और धारणाधिकार का लेखा तैयार करना;

(ङ) प्रभावित आर्द्रभूमि के प्रत्यक्ष जोन का अभ्यांकन करना;

(च) इन नियमों के अधीन विनियमित किए जाने हेतु आर्द्रभूमि अधिसूचित करना;

(छ) आर्द्रभूमि के लिए पारिस्थितिकी स्वरूप को परिभाषित करना और आर्द्रभूमि के ऐसे उपयोग को, जो पारिस्थितिकी स्वरूप के अनुरूप है, सूचीबद्ध करना;

(ज) स्थल के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की व्यापक सूची विकसित करना; प्रत्येक के लिए अवसीमा स्तर; तथा विनियमन की रीति और पद्धति विनिर्दिष्ट करना;

(झ) प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमि के लिए एकीकृत प्रबंध योजना विकसित करना और विद्यमान स्थल विकास योजना तथा कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए तंत्र की पहचान करना;

(ञ) सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रवर्तन और प्रबंध कार्ययोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना तथा वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमि की प्रास्थिति के संबंध में सरकार को सूचित करना;

(ट) विभिन्न विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से एकीकृत प्रबंध योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना;

(ठ) आर्द्रभूमि के संरक्षण और संधार्य प्रबंध के लिए भिन्न-भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को आवश्यक निदेश जारी करना;

(ड) आर्द्रभूमि के मूल्यों और कृत्यों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपाय करना ।

6. आर्द्रभूमियों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया—(1) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, अधिसूचना के लिए पहचान की गई प्रत्येक आर्द्रभूमि की,--

(क) आर्द्रभूमि का अक्षांकों के साथ सही मानचित्रों का अवलंब लेते हुए विस्तृत भौगोलिक चित्रण की सूची तैयार करना;

(ख) मानचित्र के साथ उसके प्रभाव का जोन (सही और मापने योग्य);

(ग) पारिस्थितिकी स्वरूप का विवरण;

(घ) पूर्व-विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों का लेखा और क्या वह आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप के अनुरूप है या नहीं;

(ङ) आर्द्रभूमि के भीतर अनुज्ञेय ऐसी उपयोगिताओं की सूची, जो पारिस्थितिकी स्वरूप को बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई हैं;

(च) विनियमित किए जाने वाले कार्यकलाप और उसकी तत्स्थानी अवसीमा का स्तर;

(छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीतियां,

बताते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) (क) राज्य प्राधिकरण, रिपोर्ट के आधार पर, आर्द्रभूमि अधिसूचित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को सिफारिश करेगी ।

(ख) संघ राज्यक्षेत्र की दशा में, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, आर्द्रभूमि अधिसूचित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करेगी ।

(3) राज्य सरकार या (संघ राज्यक्षेत्र की दशा में) केंद्रीय सरकार, संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों के आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, राजपत्र में आर्द्रभूमि अधिसूचित करेगी ।

(4) संबंधित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति के साथ, अधिसूचना की एक प्रति केंद्रीय सरकार को, उसके अभिलेख के लिए अग्रेषित करेगी ।

7. अन्य विधियों का लागू होना--(1) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के संरक्षित क्षेत्र के भीतर की आर्द्रभूमि, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 35) के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी और ऐसी आर्द्रभूमियों के लिए प्रबंध योजनाएं व्यापक उपयोगी सिद्धांतों के आधार पर और एकीकृत प्रबंध के मार्गदर्शक सिद्धांतों को लागू करके तैयार की जाएगी । प्रबंध योजनाओं के क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि आर्द्रभूमियों का ऐसे परम्परागत उपयोग को, जो पारिस्थितिकी स्वरूप के अनुरूप है, घटाया नहीं गया है ।

(2) संरक्षित या अधिसूचित वन क्षेत्रों के भीतर की आर्द्रभूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी और ऐसी आर्द्रभूमियों के लिए प्रबंध योजनाएं व्यापक उपयोगी सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाएंगी तथा प्रबंध योजनाओं के क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि आर्द्रभूमियों का ऐसे परम्परागत उपयोग को, जो पारिस्थितिकी स्वरूप के अनुरूप है, घटाया नहीं गया है ।

(3) तटीय क्षेत्रों में की आर्द्रभूमि का.आ. संख्यांक 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा जारी तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी और ऐसी आर्द्रभूमियों के लिए प्रबंध योजनाएं व्यापक उपयोगी सिद्धांतों के आधार पर तैयार की जाएंगी तथा प्रबंध योजनाओं के क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि आर्द्रभूमियों का ऐसे परम्परागत उपयोग को, जो पारिस्थितिकी स्वरूप के अनुरूप है, घटाया नहीं गया है ।

अनुसूची

[नियम 3 (i) देखिए]

आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय के अधीन रामसर स्थलों के रूप में भारत में पहचान की गई आर्द्रभूमियों की सूची

क्रम सं.	आर्द्रभूमि का नाम	राज्य
1	2	3
1.	आस्तामुडी आर्द्रभूमि	केरल
2.	भिटारकानीका कच्छ वनस्पतियां	उड़ीसा
3.	भोज आर्द्रभूमि	मध्यप्रदेश
4.	चंद्रताल	हिमाचल प्रदेश
5.	चिलिका झील	उड़ीसा
6.	डीपोर बील	असम
7.	पूर्व कलकत्ता आर्द्रभूमि	पश्चिमी बंगाल
8.	हरीके झील	पंजाब
9.	होकरसर (होकेरा)	जम्मू-कश्मीर
10.	कंजली	पंजाब
11.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
12.	कोलैरू झील	आंध्र प्रदेश
13.	लोकटाक झील	मणिपुर
14.	नल सरोवर	गुजरात
15.	पाइंट केलीमियर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य	तमिलनाडु
16.	पोंग डेम झील	हिमाचल प्रदेश
17.	रेणुका	हिमाचल प्रदेश
18.	रोपड़	पंजाब
19.	रूद्रसागर	त्रिपुरा
20.	सांभर झील	राजस्थान
21.	सस्थम कोट्टा झील	केरल
22.	सुरीनसर और मनसर (परिसर)	जम्मू-कश्मीर
23.	सोमोरीरी	जम्मू-कश्मीर
24.	ऊपरी गंगा	उत्तर प्रदेश
25.	वेम्बनाड़-कोल आर्द्रभूमि	केरल
26.	वूलर झील	जम्मू-कश्मीर

[फा. सं. जे-22012/78/2003-सीएस (डब्ल्यू) भाग 5]

बृजेश सिक्का, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

G.S.R. 385(E).—Whereas The Central Government had published the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 vide notification number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010 to regulate various activities within the wetlands in the country;

And whereas, the Central Government considers it necessary to supersede the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 for effective conservation and management of the wetlands in the country;

Whereas the wetlands, vital parts of the hydrological cycle, are lifelines of society on account of their wide ranging ecosystem goods and services such as water supply and purification; waste assimilation; buffering extreme events as floods, droughts, storms and cyclones; groundwater recharge; erosion control; microclimate regulation; and aesthetic enhancement of landscapes and the wetlands also support significant recreational, social and cultural activities, and are a part of our rich cultural heritage and the ecosystems harbor a range of floral and faunal diversity, including several rare, endangered and endemic species, and support complex food chains and the wetlands can help mitigate and adapt to changing climate through their ability to act as carbon sinks, regulate water regimes, prevent erosion and provide habitat to biodiversity under stress;

And whereas many wetlands are seriously threatened by reclamation and degradation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents, disposal of solid wastes), hydrological alterations (water withdrawal and inflow changes) and over-exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in goods and services provided by wetlands;

And whereas clause (g) of article 51A of the Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India "to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures";

And whereas the National Environment Policy, 2006 recognises the ecological services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism for all wetlands so as to maintain their ecological character, and ultimately support their integrated management;

And whereas India is a signatory to the Ramsar Convention on Wetlands, which includes in its ambit a wide variety of habitats, such as marshes, swamps, lakes, coastal lagoons, mangroves, peatlands, coral reefs, and numerous man-made wetlands, such as ponds, salt pans, reservoirs, gravel pits, sewage farms, and canals;

And whereas the Central Government is desirous of mainstreaming full range of wetland biodiversity and ecosystem service values in sectoral development planning and decision making based on integrated management approach;

And whereas the State Governments and Union territory Administrations need to take into account wetland ecosystem services and biodiversity values within their developmental programming, also taking into cognizance that land and water, two major ecological constituents of wetland ecosystems are enlisted as State subjects within the Constitution;

And whereas the conservation and sustainable management of wetland ecosystem goods and services can provide substantial direct and indirect economic benefits to state and national economy;

Now, therefore, the following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, is hereby published for information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to public.

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft rules may forward the same, within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhavan, Jorbagh Road, New Delhi-110003, or electronically e-mail to b.sikka@gov.in, ram.jindal@nic.in & c.singh@nic.in.

The objection or suggestions which may be received from any person and institution in respect of the said draft rules before the period specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) "Authority" means the authority referred to in rule 5;

(c) "dredging" means an excavation activity or operation usually carried out atleast partly under water, in shallow sea or fresh water areas with the purpose of gathering up bottom sediments and disposing them off at a different location in an environmentally friendly manner;

(d) "National Park" means an area declared as National Park under section 35 or section 38, or deemed to be declared as a National Park under sub-section (3) of section 66, of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (35 of 1972);

(e) "notified" means notification published in the Gazette by the State Government or Central Government in case of Union territories;

(f) "Ramsar Convention" means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;

(g) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(h) "UNESCO" means the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation;

(i) "wetland" refers to ecosystems located at the interface of land and water and wherein water plays a dominant role in controlling plant and animal life and associated ecosystem processes and the wetlands mean an area of marsh, peatland or water; natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed six meters and includes all inland and coastal waters such as lakes, reservoirs, tanks, backwaters, lagoons, creeks, estuaries and manmade wetlands, but does not include river channels and paddy fields and as notified in the Schedule.

(j) "Wildlife Sanctuary" means an area declared as a wildlife sanctuary under the provisions of Chapter IV of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (35 of 1972) and shall include an area deemed to be sanctuary under sub-section (4) of section 66, of the said Act.

(2) The word and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Applicability of rules.**—These rules shall apply to the following wetlands:-

(1) Wetlands categorised as 'wetlands of international importance' under the Ramsar Convention as specified in the Schedule.

(2) Wetlands notified by the concerned State Governments which are located in their jurisdiction.

(3) Wetlands notified by the Central Government based on recommendation of the Union territory Administrations for wetlands located in their jurisdiction.

4. **Restrictions of activities in wetlands.—**(1) The wetlands shall be conserved and managed in accordance with principle of 'wise use' for maintaining their ecological integrity.

Note 1: 'Wise use of wetlands' is the maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approaches, within the context of sustainable development.

Note 2: 'Ecological character' is the combination of ecosystem components, processes and services that characterize a wetland, and provide the necessary conditions for delivering ecosystem services and maintenance of biodiversity.

Note 3: 'Ecosystem approach' is the strategy for integrated management of land, water and living resources that promotes conservation and sustainable use in an equitable way.

(2) The following activities shall be prohibited in wetlands notified under these rules, namely:-

(i) reclamation of wetlands, and conversion for non-wetland uses;

(ii) any diversion or impediment to natural water inflows and outflows of the wetland;

(iii) any activity having or likely to have an adverse impact on ecological character of the wetland:

Provided that exceptional cases, any change to the above may be taken up with prior approval of the Central Government.

5. **Constitution of Wetland Authority by the State Governments or Union territories.-**

(1) All State Governments shall set up a State Level Wetland Authority entrusted with affairs related to wetland conservation, regulation and management under the relevant State bye-laws consisting of the following members:-

(i) Chief Minister or the Minister In-charge of the Department of Environment and Forests of the State Government;
(ii) The Chief Secretary of the State;
(iii) The Secretary in-charge of the Department of Forests;
(iv) The Secretary in-charge of the Department of Urban Development;
(v) The Secretary in-charge of the Department of Rural Development;
(vi) The Secretary in-charge of the Department of Water Resources;
(vii) The Secretary in-charge of the Department of Fisheries;
(viii) The Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control;
(ix) The Secretary in-charge of the Department of Tourism;
(x) The Secretaries in-charge of the Departments of Revenue and other relevant departments, organisations and institutions;
(xi) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries and socio-economics;
(xii) The Secretary in-charge of the Department of Environment as Member Secretary of the Authority.

(2) Based on proposals received from any Union territory, the Central Government shall for the purpose of the conservation and management of wetlands in the Union territory, constitute Wetland Authority for the Union territory consisting of the following members:-
(i) Administrator or Chief Secretary or the Minister In-charge of the Department of Environment and Forests of the Union territory;
(ii) The Secretary in-charge of the Department of Forests;
(iii) The Secretary in-charge of the Department of Urban Development;
(iv) The Secretary in-charge of the Department of Rural Development;
(v) The Secretary in-charge of the Department of Water Resources;
(vi) The Secretary in-charge of the Department of Fisheries;
(vii) The Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control;
(viii) The Secretary in-charge of the Department of Tourism;
(ix) The Secretaries in-charge of the Departments of Revenue and other relevant departments, organisations and institutions;
(x) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries and socio-economics;
(xi) The Secretary in-charge of the Department of Environment as Member Secretary of the Authority.

(3) For the purpose of managing wetlands having multiple issues, the concerned State Government or Union territory Administration may, if required, constitute a specific Wetland Authority.

(4) Every Wetland Authority referred in (1) to (3) shall exercise the following powers and perform the following functions, subject to any Central law and policies:
(a) prepare an inventory of all wetlands of the State Government or Union territory;
(b) identify and prepare a list of wetlands to be regulated under the provisions of the rules;
(c) undertake demarcation of the wetland boundaries and preparation of land-use maps using remote sensing and ground truthing;
(d) prepare an account of existing rights and tenure;
(e) demarcate the direct zone of influence of wetland;
(f) notify wetlands to be regulated under these rules;
(g) define ecological character for wetland and list out uses of the wetland which are aligned with ecological character;
(h) develop a comprehensive list of activities to be regulated to ensure wise use of the site; specify the threshold levels for each; and the mode and method for regulation;
(i) develop integrated management plan for each of the notified wetlands, and identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State development plans and programmes;
(j) ensure enforcement of the relevant Acts, rules and regulations and implementation of management action plan, and on annual basis inform the Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;
(k) coordinate implementation of integrated management plans through various line departments and other concerned agencies;
(l) issue necessary directions for conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies;
(m) undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands.

6. **Process for notification of wetlands.**—(1) The concerned State Government or Union territory shall prepare a report for each of the wetland identified for notification, providing:-

(a) Detailed geographic delineation of the wetland supported by accurate maps with coordinates;
(b) its zone of influence along with a map (accurate and to scale);
(c) ecological character description;
(d) account of pre-existing rights and privileges, and whether or not consistent or not consistent with the ecological character of the wetland;
(e) list of uses permitted within the wetland which are aligned with maintenance of ecological character;
(f) list of activities to be regulated, and their corresponding threshold level, and;
(g) modalities for enforcement of regulation.

(2) (a) Based on the report, the State Authority shall make recommendation to the State Government concerned for notifying the wetlands.

(b) In case of Union territory, the Union territory Administration shall make recommendations to the Central Government for notifying the wetlands.

(3) The State Government or Central Government (in the case of Union territory) shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette.

(4) The concerned State Wetland Authority shall forward a copy of the notification along with a copy of report referred to in sub-rule (1) to the Central Government for its record.

7. **Applicability of other laws.-**

(1) Wetlands within the protected areas of the National Parks and Wildlife Sanctuaries shall be regulated by the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 (35 of 1972) and the management plans for such wetlands will be prepared on wise use principles and applying guidelines for integrated management. Implementation of management plans shall ensure that traditional uses of wetlands, which are harmonized with its ecological character are not curtailed.

(2) Wetlands within the protected or notified forest areas shall be regulated by the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1972); the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980); and the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the management plans for such wetlands shall be prepared on wise use principles and the implementation of management plans shall ensure that traditional uses of wetlands, which are harmonized with its ecological character are not curtailed.

(3) Wetlands in coastal areas shall be regulated as per the provisions of the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 issued vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and the management plans for such wetlands shall be prepared on wise use principles and the implementation of management plans shall ensure that traditional uses of wetlands, which are harmonized with its ecological character are not curtailed.

THE SCHEDULE

[See-rule 3(i)]

List of wetlands in India identified as Ramsar sites under Ramsar Convention on Wetlands

S. No.	Name of Wetland	State
(1)	(2)	(3)
1	Ashtamudi Wetland	Kerala
2	Bhitarkanika Mangroves	Orissa
3	Bhoj Wetland	Madhya Pradesh
4	Chandratal	Himachal Pradesh
5	Chilika Lake	Orissa
6	Deepor Beel	Assam

7	East Calcutta Wetlands	West Bengal
8	Harike Lake	Punjab
9	Hokarsar (Hokera)	Jammu and Kashmir
10	Kanjli	Punjab
11	Keoladeo National Park	Rajasthan
12	Kolleru Lake	Andhra Pradesh
13	Loktak Lake	Manipur
14	Nal Sarovar	Gujarat
15	Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary	Tamil Nadu
16	Pong Dam Lake	Himachal Pradesh
17	Renuka	Himachal Pradesh
18	Ropar	Punjab
19	Rudrasagar	Tripura
20	Sambhar Lake	Rajasthan
21	Sasthamkotta Lake	Kerala
22	Surinsar and Mansar (complex)	Jammu and Kashmir
23	Tsomoriri	Jammu and Kashmir
24	Uppar Ganga	Uttar Pradesh
25	Vemband-Kol Wetland	Kerala
26	Wular Lake	Jammu and Kashmir

[F. No. J-22012/78/2003-CS(W) Pt. V]

BRIJESH SIKKA, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.